Amendments in Anti-Defection Law

829. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any amendments in the present Anti-Defection Law;

(b) if so, the details of the proposed/ intended amendments;

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Government would consider giving effect to such measures/ amendments for strengthening the anti-defection law on which consensus emerges amongst political parties.

Census of Minorities

830. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a number of States are conducting census of the minority people, especially that of Christians;

(b) if so, the reasons which necessitated the State Governments to carry out such census;

(c) whether Central Government have given any permission to States for this purpose; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) The national census is due to be undertaken all over the country in February 2001. It is, therefore, premature to conduct any census at this stage. However, Govt. have received reports that the police authorities in Gujarat have issued instructions seeking information about Christians and other minorities for purposes of maintenance of peace and order.

भारत में विदेशी मिशनरी

831. श्री खान गुफरान जाहिदी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में विदेशी मिशनरियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन मिशनरियों की कार्य-प्रणाली के संबंध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार 1085 पंजीकृत विदेशी मिशनरियां भारत में रह रहीं थीं।

(ख) और (ग) भारत में मिशनरियों की कार्य-प्रणाली के बारे में निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यमान हैं:—

(I) नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना भारत में कोई नया विदेशी मिशनरी केन्द्र नहीं खोला जा सकता है।

(II) सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना मिशनरियों को नया वीजा नहीं दिया जाता है। तथापि, मिशनरियों को वीजा केवल रिपलेसमेंट के रूप ही दिया जाता है।

(III) 20 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रही मिशनरियों की ठहरने की समयावधि सामान्यतः राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासनों द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती है। अन्य मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

होमगार्डों के लिये प्रोन्नति के अवसर

832. श्री जनेश्वर मिश्रः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में में कार्यरत होमगार्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि होमगार्डों को 15-16 वर्षों की सेवा के बाद भी नौकरी से हटाया जा सकता है और उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं मिलती है और सेवा के दौरान उनकी स्वाभाविक मृत्यु के बाद उनके परिवार को केवल 8700/- रुपए दिये जाते हैं और उनके परिवार को न तो कोई पेंशन मिलती है न ही मरणोपरांत कोई लाभ मिलते हैं; और